भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2541

दिनांक 04 अगस्त 2026 / 13 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

लू को प्राकृतिक आपदा घोषित करना

†2541. श्री अनुप प्रधान वाल्मीकिः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के कई हिस्सों में भीषण लू की स्थिति और इसके कारण हुई जान-माल की हानि तथा स्वास्थ्य संकट से अवगत है और यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार राहत और पुनर्वास योजनाओं को एक बिधिक ढांचा प्रदान करने के लिए 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम' के तहत लू को 'प्राकृतिक आपदा' घोषित करने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निकट भविष्य में इस दिशा में कोई नीतिगत प्रस्ताव लाने की कोई योजना है; और

(घ) क्या राज्य सरकारों को उनकी हीट एक्शन प्लान के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा कोई तकनीकी या वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में लू (हीटवेव) की स्थिति और इससे जुड़े स्वास्थ्य प्रभावों से अवगत है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), 'जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम' (NPCCHH) के माध्यम से, 'गर्मी से संबंधित बीमारी पर राष्ट्रीय कार्य योजना' (NAPHRI) के अनुसार हीट-हेल्थ उपायों को लागू करता है।

इस ढांचे के तहत, MoHFW ने भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसमी दृष्टिकोण के साथ राज्य स्वास्थ्य विभागों के लिए हीट एडवाइजरी और अत्यधिक गर्मी/लू पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह जारी की है। IMD के हीटवेव चेतावनी बुलेटिन के आधार पर, NPCCHH समय पर तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए सभी राज्यों और जिलों को अनुकूलित रंग-कोडित स्वास्थ्य परामर्श प्रसारित करता है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2541, दिनांक 04.08.2026

देश भर में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) और उससे ऊपर के अस्पतालों की 51,000 से अधिक रिपोर्टिंग इकाइयों के लिए 'नेशनल हीट-रिलेटेड इलनेस एंड डेथ सर्विलांस (NHRIDS) सक्रिय की गई है। इस वर्ष 26 जुलाई 2026 तक हीट स्ट्रोक के कुल मामले और हीट स्ट्रोक के कारण हुई मौतें अनुलग्नक में उल्लिखित हैं।

(ख) और (ग): 16वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में पुरस्कार अवधि 2026-31 के लिए, जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में लू और बिजली गिरने को शामिल करने की सिफारिश की है।

इन सिफारिशों के आधार पर, गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के प्रशासन के लिए परिचालन दिशा-निर्देश अवधि 2026-31 के तहत अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में लू और बिजली गिरने को शामिल किया है। तदनुसार, SDRF/NDRF के माध्यम से राहत सहायता प्रदान करने के लिए एक नीतिगत ढांचा अब लागू है। हीट वेव से बचाव के प्रोजेक्ट्स, आपदा जोखिम शमन फंड के तहत पात्र हैं।

(घ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हीटवेव (लू) के असरदार मैनेजमेंट के लिए नेशनल गाइडलाइंस जारी की हैं और अक्टूबर 2019 में हीटवेव से बचाव और मैनेजमेंट के लिए एक्शन प्लान तैयार करने से जुड़ी नेशनल गाइडलाइंस भी बनाई हैं। ये गाइडलाइंस हीटवेव की चपेट में आने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हीट एक्शन प्लान (HAPs) तैयार करने में मदद करती हैं।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2541, दिनांक 04.08.2026

अनुलग्नक

वर्तमान वर्ष 2026 में (26 जुलाई 2026 तक) हीट स्ट्रोक के कुल मामले और हीट स्ट्रोक के कारण हुई मौतें

क्र. सं.	राज्य	1 मार्च 2026 से हीटस्ट्रोक मामलों का कुल योग	1 मार्च, 2026 से हीटस्ट्रोक से कुल पुष्ट मौतें
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0
2	आंध्र प्रदेश	540	4
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0
4	असम	0	0
5	बिहार	249	0
6	चंडीगढ़	0	0
7	छत्तीसगढ़	660	0
8	दिल्ली	32	0
9	गोवा	0	0
10	गुजरात	41	0
11	हरियाणा	95	0
12	हिमाचल प्रदेश	10	0
13	जम्मू और कश्मीर	3	0
14	झारखंड	409	0
15	कर्नाटक	59	0
16	केरल	19	0
17	लद्दाख	0	0
18	लक्षद्वीप	0	0
19	मध्य प्रदेश	155	0
20	महाराष्ट्र	325	11
21	मणिपुर	0	0
22	मेघालय	1	0
23	मिजोरम	3	0
24	नागालैंड	0	0
25	ओडिशा	143	2
26	पुडुचेरी	3	0
27	पंजाब	12	0
28	राजस्थान	204	0
29	सिक्किम	0	0
30	तमिलनाडु	2	1
31	तेलंगाना	915	2
32	द दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव	0	0
33	त्रिपुरा	6	0
34	उत्तर प्रदेश	234	0
35	उत्तराखंड	0	0
36	पश्चिम बंगाल	733	0
37	**कुल**	**4853**	**20**
